राजु – दुर्गाराम प्र. नं. – 115/2012

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23-3-18	पक्षकारों में जरिये उपरो. वकील रेस्पो. ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का दावा दि० 16-6-2014 को खारिज हो चुका। जबकि दावा खारिज हो चुका है तो यह प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है इस प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ दावा खारिज होने की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें अपीलार्थी का दावा 16-6-14 को खारिज किया जा चुका। अपीलार्थी ने ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया है जिससे यह साबित होता हो कि आदेश दि० 16-6-14 की कोई अपील की हो। अतः दावा खारिज हो जाने से यह प्रा० पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अपील बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official